

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 23 मई, 2016


विषय:-जनपद-देहरादून के अंतर्गत पंजिटिलानी से सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2876/1जी-FP/UK/ROAD/11483/2015, दिनांक 19.03.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।


उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें--

1. वैकल्पिक संरेखण निरस्त किये जाने संबंधी तुलनात्मक विवरण समुचित अधिकारियों से हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित कर ऑन-लाईन अपलोड नहीं है।
2. मक डिस्पोजल स्कीम/विवरण अपलोड/उपलब्ध नहीं किया गया है। व मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि का विवरण/अनुबंध संबंधी सूचना अप्राप्त है।

भवदीय,

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।

संख्या: 334 (1) / X-4-16 / 1(104) / 2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-अधिशायी अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया, देहरादून।

आज्ञा से,

(अखिलेश मिश्रा)
अनु सचिव।